मंडल की 20 अगस्त 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	100	मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति) विनियम 2010 - हिन्दी अधिकारी, सहा. निदेशक (अनुसंधान), पर्यवेक्षक (रोकड़ एवं बिल्स) कनिष्ठ फोरमॅन डायव्हर, अधीक्षिका आदि पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठीत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के तहत, अनुलग्नक - I में निर्धारित किये नुसार भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते की इसी की धारा 124(i) के अंतर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन
2.	101	हिन्दूस्तान युनीलीवर लि. (HUL) के पास बकाया राशियों की वसूली.	विचार-विमर्श आस्थागित.	यातायात
3.	102	जेट्टी 5, गेटवे ऑफ इण्डिया में तैरता पीपा उपयोग के लिए सुझायी गयी दर. श्रीमती श्रीप्रिया डाल्मिया थिराणी (गेटवे ऑफ इण्डिया) की निविदा सं. टीएम/ बीडीसी/एफआर (04/2017-18)/51.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
4.	103	मंडल की 31 मई, 2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 31.5.2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित की गयी, उसकी समीक्षा की गयी और उसे अभिलिखित किया गया.	सामान्य प्रशासन
5.	104	मुंपोट्र भूमि से होकर जानेवाली भूमिगत मेट्रो सं.11 की लागत भागीदारी के बदले में एमएमआरडीए को भूमि का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) के प्रस्ताव को सिद्धान्त रुप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सम्पदा
6.	105	निविदा सं.ई-100ए/2018: मुंपोट्र सम्पदा में पे एण्ड पार्क (फेज - III) का प्रचालन एवं प्रबंधन. - उच्चतम प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	106	जवाहरद्वीप मुंबई हार्बर में पाँचवे तेल घाट की परियोजना के लिए न्यू पॉवर हाउस एवं डीजी शेड का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
8.	107	इंदिरा गोदी 18 से 22, हार्बर दीवार घाटों का पुनर्निमाण.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
9.	108	निविदा सं. ई.33/2018 प्रस्तावित घरेलू क्रूझ, मरीना तथा रो-रो पॅक्स टर्मिनल, प्रिंसेस गोदी (फेज - II) के लिए यातायात निकास योजना. - पी. डिमेलो रोड तथा मुंपोट्र लिंक रोड, गणेश मंदीर के पास को जोडनेवाला नया डामरीकृत रोड.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
10.	109	पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी महापत्तन 2014/15 द्वारा भूमि प्रबंधन के लिए नीति मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंपोट्र भूमि पर मार्गाधिकार (विशेष मार्गाधिकार) नीति.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 और 8 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
11.	110	भंडार भवन, तीसरे माले पर कोचिन शिपयार्ड के लिए कार्यालय स्थान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
12.	111	भंडार भवन, मुंपोट्र, तीसरे माले पर लीव एवं लायसंस आधार पर तटीय रक्षक मरम्मत तथा उत्पाद दल, तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम), भारतीय तटरक्षक को कार्यालय स्थान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 के मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) के प्रस्ताव को और भारतीय तटरक्षक द्वारा अनुरोध के अनुसार प्रतिमाह 1,75,672.69 रुपये सुधारित लायसंस शुल्क तथा 42,16,144.56 रूपये सुरक्षा जमा के लिए 25% छूट प्रदान करने को अनुमोदन प्रदाना किया जाता है.	सम्पदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
13.	112	निम्न के संबंध में किये गये मूल्यांकन पर आधारित दरमान नियतन के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार-विमर्श. (i) आर आर 1646 (वेज ऑइल) सीएस सं. 7ए/358 (ii) आर आर सं.1022 एवं 1776 (एच पी सी एल) सीएस सं.6/358 (iii) बंजर भूखण्ड का भाग (पेट्रॉक्स प्रा. लि) सीएस सं. 4/357 वडाला इस्टेट स्थित.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
14.	113	श्यामजी प्रीपेड सर्विसेस द्वारा किये गये आयात के संबंध में विलंब शुल्क माफ करने के लिए अनुरोध.	श्यामजी प्रीपेड सर्विसेस का विलंब प्रभार पूर्ण माफ करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किया जाता है.	यातायात
15.	114	1.10.2012 से 30.9.2017 तक के दरमान में सुधार.	विचार-विमर्श आस्थागित.	सम्पदा
16.	115	प्राक्कलन सं. सीई. 13/2019-20 - गोदी के बीपीएक्स में एक वर्ष की अवधि के लिए कुछ सड़कों, खुले भंडारण यार्डों, क्रुज टर्मिनल के आसपास के घाटों एवं क्रूज यात्रियों के लिए शामिल सुविधाओं में झाडू मारने के लिए वार्षिक संविदा के लिए प्राक्कलन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17	116	पीरपाव स्थित द्वितीय रसायन घाट तक अप्रोच चॅनल को गहरा करने तथा चौड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण निकर्षण. - राष्ट्रीय तकनीकी केन्द्र, पोर्ट जलमार्ग एवं तट की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
18.	117	शहर में भीड़भाड़ कम करने तथा व्यापार के लिए महत्व स्थापित करने हेतु निजी सरकारी क्षेत्र की भागिदारी प्रक्रिया पर जेएनपीटी - मुंबई पोर्ट बार्ज शिप प्रचालकों के चयन के लिए निविदा.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
19.	118	मत्स्य घाट स्थित मच्छीमार जलयान को एचएसडी आपूर्ति के लिए अनलोडिंग स्थानों के विस्तार के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र. - मार्गाधिकार प्रभार माफ करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
20.	119	मत्स्य आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को 12 वर्षों के लायसेंस आधार पर नव मत्स्य जेट्टी, नव मत्स्य घाट के ऊपरी मंजिल हॉल के 686.33 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
21.	120	मंडल की 25 जून, 2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 25.6.2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित की गयी, उसकी समीक्षा की गयी और उसे अभिलिखित किया गया.	सामान्य प्रशासन
22.	121	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में संविदा आधार पर शहरी अभिकल्पकर्मी की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	मानव संसाधन
23.	122	पीरपॉव में तृतीय रसायन घाट का निर्माण - परियोजना हाथ में लेने के लिए सिध्दान्त रुप में अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को सिध्दान्त रुप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य

C6/Pro 25 June 2019/actiontaken20190625